रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2018/माघ 9, 1939
No. 51] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2018/MAGHA 9, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 96(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1343 (अ) द्वारा औद्योगिक बॉयलरों (ईंधन-वार) के संबंध में एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और, राजपत्र की प्रतियां दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 को जन साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं।

और, केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पक्षों से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है।

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में, क्र. सं. 105 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

क्र.सं.	औद्योगिक बॉयलर का प्रकार (ईंधन-वार)	मानदण्ड	
		SO_2	NOx
106	कृषि आधारित ईंधन*	-	-
106 क	प्राकृतिक गैस*	-	-
106 ख	अन्य ईंधन**	ठोस ईंधन के लिए 6% शुष्क O_2 और तरल ईंधन के लिए 3% शुष्क O_2 पर 600 मिलिग्राम/Nm^3	ठोस ईंधन के लिए 6% शुष्क O_2 और तरल ईंधन के लिए 3% शुष्क O_2 पर 300 मिलिग्राम/Nm^3

इन उद्योगों अर्थात (1) चीनी (2) सूती कपड़ा (3) मिश्रित ऊनी मिलों (4) सिन्थेटिक रबर (5) लुग्दी और कागज (6) आसवनियां (7) चमड़ा उद्योग (8) कैल्शियम कार्बाइड (9) कार्बन ब्लैक (10) प्राकृतिक रबर (11) एस्बेस्टोस (12) कॉस्टिक सोडा (13) छोटे बॉयलरों (14) अल्यूमीनियम संयंत्रों (15) चर्म-शोधनालयों (16) अकार्बनिक रसायन और ऐसे अन्य उद्योगों में प्रयुक्त बॉयलरों के लिए उक्त अधिसूचना में दिए गए उत्सर्जन मानदंडों का पालन किया जाएगा।

* अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1996 के द्वारा अधिसूचित स्टेक की ऊंचाई के मानदण्डों को पूरा करना अपेक्षित है।

** इस प्रकार की उद्योगों से होने वाले उत्सर्जनों की निगरानी आवश्यक है और सारणी की क्रम सं. 105 (ग) पर दिए गए ऐसे सभी उद्योगों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाए गए ऑनलाइन निगरानी क्षेत्र के अनुसार ऑनलाइन निगरानी प्रणाली संस्थापित करना आवश्यक है।

नोट:

- कोयला, लिग्नाइट इत्यादि जैसे ठोस ईंधनों का प्रयोग करने वाले कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में अधिसूचित अधिसूचना सं. का. आ. 3305 (अ) दिनांक 07 दिसंबर, 2015 में निर्धारित उत्सर्जन सीमा लागू होगी।
- इसमें निर्धारित मानक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध या निषेध और गैर-लाभकारी शहरों के मामले में लागू नहीं होंगे, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पेट कोक और फर्नेश ऑयल के प्रयोग को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।

[फा. सं. क्यू-15017/20/2017-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-3, उपखंड-(i) में का.आ. सं. 844(अ) दिनांक 19 नवंबर, 1986 में प्रकाशित किये गये थे और पिछली बार अधिसूचना सा.का.नि. 1607(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के द्वारा संशोधित किये गये थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2018

G.S.R. 96(E).— Whereas, a draft notification, for industrial boilers (fuel wise) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide no. G.S.R. 1343 (E), dated the 25th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette were made available to the public dated 25th October, 2017;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Type of industrial boiler (fuel wise)	Standards	
		SO_2	NOx
106	Agro based fuel*	-	-
106A	Natural gas*	-	-
106B	Other fuels **	600 mg/Nm^3 at 6% dry O_2, for solid fuel and 3% dry O_2 for liquid fuel	300 mg/Nm^3 at 6% dry O_2, for solid fuel and 3% dry O_2 for liquid fuel

The boiler used in the industries, namely (1) sugar (2) cotton textiles (3) composite woollen mills (4) synthetic rubber (5) pulp and paper (6) distilleries (7) leather industries (8) calcium carbide (9) carbon black (10) natural rubber (11) asbestos (12) caustic soda (13) small boilers (14) aluminium plants (15) tannery (16) inorganic chemical and other such industries using boilers,shall adhere to emission norms in the said notification.

* It is required to meet stack height criteria notified *vide* G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996.

** The emissions from such industries need to be monitored and, all such industries as referred at Sl.No.105C of the Table would be required to install online monitoring system as per online monitoring mechanism put in place by Central Pollution Control Board from time to time.

Note:

- ***For captive power plants using Solid fuels such as coal, lignite, etc. the emission limit notified for Thermal Power Plants vide notification no S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015 shall be applicable.***
- ***The standards set herein will not apply to any ban or restriction put in place by Competent Authority and for non-attainment cities, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee may regulate or ban use of Pet Coke and Furnace Oil on the basis of available data.***

[F. No. Q-15017/20/2017-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19thNovember, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 1607(E), dated the 29th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.31 10:38:16 +05'30'